## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 27.02.2025 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अ0सं0-403/14 धारा 125(3) दं0प्र0सं0 से संबंधित अभियुक्त वाद संख्या 40 उत्तम सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह निवासी कमसिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ४ थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. पंकज दुबे पुत्र रमेशचन्द्र दुबे निवासी ग्राम कसोलर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात 2. चि्रका प्रसाद पुत्र जगराम सिंह निवासी ग्राम जिटयापुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 3. विजय यादव पुत्र स्व0 कृष्णचन्द्र निवासी ग्राम ककरदिश थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 4. धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गणेश सिंह निवासी ग्राम आंट थाना रिनयां जनपद कानपुर देहात 5. विशाल उर्फ लोहा यादव पुत्र रमेशचन्द्र यादव निवासी ग्राम लहरापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 6. जन्मेजय पुत्र स्व0 नाथूराम निवासी ग्राम गंभीरपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 7. संजय सिंह पुत्र स्व0 सुखबीर सिंह निवासी ग्राम धर्मतपुर थाना सजेण्डी जनपद कानपुर नगर 8. इमरान पुत्र समीम खाँ निवासी ग्राम पिण्डार्थू थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात द्वारा ताश के पत्तों से रूपये व पैसों की हारजीत की बाजी लगाकर बन्द कमरे के अन्दर जुँआ खेलने के संबन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 3/4 जुंआ अधिनियम व धारा 112 बीएनएस व धारा 207 एमवी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➤ थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त फारूख पुत्र स्व0 वशीर निवासी ग्राम दशहरा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से अवैध 18 अदद क्वार्टर ट्रिवन टावर पाउज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 96/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।